रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1526] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2012/श्रावण 23, 1934
No. 1526] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2012/SHRAVANA 23, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2012

का.आ. 1830(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, उक्त सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड कि.मी. में
(1)	(2)	(3)
44	मेघालय राज्य में जोवई से मेघालय और असम सीमा खंड	कि.मी. 69.200 से कि.मी. 173.200

[फा. सं. एनएच-14013/10/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2012

S.O. 1830(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, as specified in column (3) of the Table below, of the Section as specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
44	From Jowai to Meghalaya and Assam border section in the State of Meghalaya	From Km. 69.200 to Km. 173.200

[F. No. NH-14013/10/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2012

का.आ. 1831(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

"16	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 40 [किमी 0.000 से किमी 61.800 (जोरबाट-शिलांग (बारापानी) खंड), तक को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44, [किमी 69.200 से किमी 173.200 तक (जोवई से मेघालय और असम सीमा खंड को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 51, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 62 और शिलांग बाइपास को छोड़कर [कि.मी. 61.800 (रारा-40) से कि.मी. 34.850 (रारा-44) तक को छोड़कर] का उतना हिस्सा जो कि मेघालय राज्य के भीतर अवस्थित है।	मेघालय राज्य सरकार"।

[फा. सं. एनएच-14013/10/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम बार का.आ. 1572(अ) तारीख 12 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2012

S.O. 1831(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

"16	So much of National Highways No. 40 [excluding from Km. 0.000 to Km. 61.800 of Jorabat - Shillong (Barapani) Section], No. 44 (Excluding from Km. 69.200 to Km. 173.200 (Jowai to Meghalaya and Assam Border Section) No. 51, No.62 and also excluding Shillong bypass [from Km. 61.800 (NH-40) to Km. 34.850 (NH-44)] as are situated within the State of Meghalaya.	State Government of Meghalaya".

[F. No. NH-14013/10/2012-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1572(E), dated the 12th July, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.